

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 104]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 21 मार्च 2017—फाल्गुन 30, शक 1938

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 21 मार्च 2017

क्र. एफ-24-1-2012-एक-10.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, जाँच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का क्रमांक 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्री सी. पी. कुलश्रेष्ठ, सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के एकल सदस्यीय जांच आयोग के गठन की “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 30 जून, 2015 में प्रकाशित विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ-24-1-2012-एक-10, दिनांक 30 जून, 2015 (यथासंशोधित अधिसूचना दिनांक 1 अक्टूबर 2016) में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की कंडिका 5 में, शब्द “तीन मास के भीतर” के स्थान पर, शब्द “30 जून 2017 तक” स्थापित किये जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय कुमार, उपसचिव.